न्यायालयः—राजेश कुमार अग्रवाल (सी.), सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर म.प्र.

जमानत आवेदन क्रमांक 4854/2022

लक्ष्मीकांत शर्मा पिता शंकरलाल शर्मा
आयु—60 वर्ष, व्यवसाय— नौकरी
निवासी— स्कीम नंबर 71 मकान 416,
वैष्णव हॉस्टल के सामने इंदौर

——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस
चन्दननगर इंदौर (म0प्र0)

——— अनावेदक

//आदेश//

11-10-2022 यह जमानत आवेदन माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त।

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री पवन शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्रीमती सरस्वती यादव अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना चन्दननगर इंदौर से अपराध क्रमांक 837/2022 अंतर्गत धारा 326, 323, 294, 506, 34 भा.द.वि. की केस डायरी मय पुलिस प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक/आरोपी की ओर से उसकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा शर्मा ने इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि यह द.प्रस. की धारा 439 का **द्वितीय** जमानत आवेदनपत्र है। इस आवेदनपत्र के अलावा अन्य कोई आवेदन न तो माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है और न ही निराकृत हुआ है। प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है।

उभयपक्ष को जमानत आवेदन पर सुना गया।

आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है किः— आवेदक/आरोपी ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है उसका घटना

से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आवेदक/आरोपी 60 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति होकर लो ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की बीमारी से ग्रसित है। आवेदक/आरोपी की माता अत्यधिक वृद्ध है जिसकी देखरेख की जवाबदारी आवेदक/आरोपी की है। आवेदक/आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक/आरोपी इंदौर के स्थायी निवासी होकर उसकी चल-अचल संपत्ति इंदौर में स्थित है, उसके फरार होने, गवाहों को डराने, धमकाने की कोई संभावना नहीं है, प्रतिरक्षा करने को तत्पर है। जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती सरस्वती यादव ने मौखिक विरोध किया और बताया कि आवेदक/आरोपी ने एकराय फरियादी के साथ गंभीर मारपीट की है और उसका दाहिना कान दांतो से काट कर अलग कर दिया। आवेदक/आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन पूर्व में दिनांक 01.10.22 को गुण-दोषों पर निरस्त हो चुका है। अनुसंधान अपूर्ण है। जमानत आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की।

पुलिस प्रतिवेदन अनुसार घटनाक्रम संक्षेप में इस प्रकार है किः-दिनांक 30/09/2022 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 28/08/2022 को उसे लक्ष्मीकांत ने फोन लगाकर बोला कि उसके बडे लडके अरूण शर्मा की शादी नहीं हो पा रही है, उनके घर सत्यनारायण भगवान की कथा करने आ जाओ। फरियादी लक्ष्मीकांत शर्मा के घर के आस-पास दो से तीन बार कथा करने आया था जिससे वह लक्ष्मीकांत शर्मा के परिवार को पहले से जानता था। दिनांक 29.09.2022 को सुबह 06:00 बजे वह लक्ष्मीकांत शर्मा के घर आ गया तथा दोपहर को लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर उनके बडे लडके अरूण शर्मा की शादी के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा की, उसके बाद दिनांक 30/09/2022 को करीब 1:30 बजे से 02:00 बजे के बीच वह सो रहा था तभी लक्ष्मीकांत शर्मा का छोटा लडका विपुल अपने पिताजी लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ उसके पास आए और उसे जगाकर उससे बोले कि तूने हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कैसी पूजा की है। पूजा के बाद अरूण शर्मा घर में उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा है। इस बात पर से लक्ष्मीकांत शर्मा और उसका लडका उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसके साथ हाथ-थप्पड से मारपीट करने लगे तभी वहां पर लक्ष्मीकांत का

बडा लडका गुस्से में उसके पास आया और वह भी हाथ थप्पड से मारपीट करने लगा तभी लक्ष्मीकांत के छोटे लडके विपुल ने अपने दांतों से उसका आधा दाहिना कान काटकर कान से अलग कर दिया। चोट ज्यादा होने से वह जोर से चिल्लाया तो मोहल्ले के आस–पास के लोग इकठ्ठे हो गए और उन्होंने फरियादी को लक्ष्मीकांत और उसके लडके अरूण विपुल से छुड़ाया। तीनो लोग उससे बोले कि आईंदा तू हमारे सामने आया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर आहत का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर विवेचना में लिया गया।

रिमाण्ड पत्रावली से यह दर्शित है कि आवेदक/आरोपी को दिनांक 30/09/2022 को मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गिरफ्तार कर पेश किया गया, जहां से उनका जमानत आवेदन द.प्र.स. की धारा 437 निरस्त हुआ तत्पश्चात दिनांक 01.10.22 को इस न्यायालय से भी द.प्र.सं. की धारा 439 का प्रथम जमानत आवेदन पत्र निरस्त हुआ है।

केस डायरी एवं पुलिस प्रतिवेदन से यह दर्शित है कि फरियादी/आहत कुंज बिहारी जो कि पूजा एवं कथा करने का काम करता है, को आवेदक/आरोपी ने एकराय होकर उसके घर जाकर उसकी मारपीट की और उसी समय फरियादी कुंजबिहारी का दाहिना कान दांत से काटकर अलग कर दिया। इस प्रकार उसके कान का आधे से ज्यादा भाग पिन्ना से उपर तक का कटकर अलग हो गया। इस प्रकार उसका अंग भंग किया जो कि गंभीर अपराध होकर भारतीय दंड विधान की धारा 326 के अंतर्गत आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध है।

केस डायरी के साथ संलग्न फरियादी के फोटो एवं चिकित्सीय प्रतिवेदन से दर्शित है कि उसके कान का भाग कटकर अलग हो गया है। चिकित्सक ने गंभीर अपराध होना बतलाया है और प्लास्टिक सर्जरी की सलाह दी है। आहत को आई हुई चोट अत्यधिक गंभीर प्रकृति की है। आवेदक/आरोपी ने अन्य सह अभियुक्त पुत्रों के साथ मिलकर अपराध में सक्रिय भाग लिया है। फरियादी, जो कि पुजारी है उसे पहले आवेदक/आरोपी ने पहले अपने घर उसे कथा और पूजन के लिए बुलाया और इसके बाद दूसरे दिन उसी पुजारी के घर जाकर उसकी मारपीट ऐसी की कि उसका दांत से कान काटकर अलग कर दिया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। कोई

महत्वपूर्ण परिस्थितियां नहीं बदली हैं।

तब प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हूए आवेदक/आरोपी का द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय इंदौर को सहित भेजी जावे।

आदेश की एक प्रतिलिपि सहित केस डायरी थाना प्रभारी चन्दननगर इंदौर को अविलंब वापस भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम जमानत आवेदन पंजी में अंकित कर नियत अवधि में अभिलेखागार जमा हो।

RAJESH KUMAR AGRAWAL
Digitally signed by RAJESH KUMAR AGRAWAL
Date: 2022.10.11 17:23:48 +1000

सही/–

राजेश कुमार अग्रवाल(सी.)
सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश
इंदौर (म.प्र.)